बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी०पी०एम०– 49/2016– 331 /कृ0, पटना, दिनांक 27-01-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अधीन सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए केन्द्रांश मद में 3073.668 लाख रूपये (तीस करोड़ तिहत्तर लाख छियासठ हजार आठ सौ रूपये) एवं राज्यांश मद में 2406.11200 लाख रूपये (चौबीस करोड़ छः लाख ग्यारह हजार दो सौ रूपये) कुल 5479.78 लाख (चौवन करोड़ उनासी लाख अठहत्तर हजार) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन तत्काल केन्द्रांश–1536.83 लाख रूपये एवं राज्यांश–1024.55 लाख रूपये कुल 2561.38 लाख (पचीस करोड़ एकसठ लाख अड़तीस हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अधीन सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए केन्द्रांश मद में 3073.668 लाख रूपये (तीस करोड़ तिहत्तर लाख छियासठ हजार आठ सौ रूपये) एवं राज्यांश मद में 2406.11200 लाख रूपये (चौबीस करोड़ छः लाख ग्यारह हजार दो सौ रूपये) कुल 5479.78 लाख (चौवन करोड़ उनासी लाख अठहत्तर हजार) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन तत्काल केन्द्रांश–1536.83 लाख रूपये एवं राज्यांश–1024.55 लाख रूपये कुल 2561.38 लाख (पचीस करोड़ एकसठ लाख अड़तीस हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, विस्तार प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या– 9–3/2016–ए.ई. दिनांकः 06.04.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु 5122.78 लाख रूपये की उद्व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। दिनांक 05.08.2016 को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा योजना अंतर्गत कुल 5122.78 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, विस्तार प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या–36–25/2012 AE/Extn. Desk दिनांकः 01.06.2016 द्वारा सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए क्रमशः 1281.72 लाख रूपये, 241.28 लाख रूपये एवं 13.83 लाख रूपये कुल 1536.83 लाख (पन्द्रह करोड़ छत्तीस लाख तिरासी हजार) रूपये विमुक्त की गयी है। तत्काल विमुक्त राशि के समानुपातिक राज्यांश का आवंटन निर्गत किया जायेगा। अवशेष राशि भारत सरकार से विमुक्ति के उपरांत समानुपातिक राज्यांश का आवंटन निर्गत किया जायेगा।

27.1.2017

3. केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन भारत सरकार द्वारा विस्तृत मार्गदर्शिका विहित किये गये हैं तथा योजना के अधीन कार्यमदों को विहित किया गया है। वर्ष 2016–17 में राज्य, जिला तथा न्यून स्तर पर चलाये जाने वाले कार्यक्रम का विवरण **अनुसूची–1** संलग्न है। सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के अधीन कैफेटेरिया ऑफ एक्टिविटी में शामिल कार्यमद के लिए केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत निर्धारित है। योजना अन्तर्गत कतिपय मद शत–प्रतिशत राज्यांश से कार्यान्वित किये जायेंगे। तदनुसार कुल परियोजना राशि में केन्द्रांश का प्रतिशत 56.1 तथा राज्यांश का प्रतिशत 43.9 हो गया है। योजना के लिए आवश्यक निधि के स्रोत (मदवार वित्तीय आवश्यकता) का विवरण निम्न प्रकार है,

(राशि लाख रू० में)

मद	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (स्टेट एक्सटेंशन वर्क प्लान)	3073.668	2049.112	5122.78
राज्य योजना से स्वीकृत पद		302.00	302.00
बामेति भवन की सुरक्षा एवं प्रबंधन	-	55.00	55.00
कुल	**3073.668**	**2406.112**	**5479.78**

4. बामेति तथा आत्मा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत निबंधित संस्था है। केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्य योजना के अधीन इन संस्थाओं के कतिपय पद शामिल हैं। साथ ही कतिपय अन्य पदों को भी राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत पद/संख्या एवं व्यय विवरणी अनुसूची–2 के रूप मं संलग्न है।

5. आत्मा/बामेति सोसाइटी को केन्द्रांश तथा राज्यांश की राशि सहायक अनुदान के रूप में विमुक्त की जायेगी। आत्मा/बामेती द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए निर्धारित शर्त तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प, ज्ञापांक– 8025 दिनांक: 21.05.2013 एवं समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

6. केन्द्र प्रायोजित योजना/राज्य योजना से स्वीकृत पद का अवधि विस्तार योजना स्वीकृति के उपरांत संबंधित आत्मा/बामेती सोसाइटी द्वारा किया जायेगा। इन पदों के लिए निर्धारित मानदेय केन्द्र प्रायोजित योजना के गाईडलाइन के अनुरूप योजना प्रावधान के अधीन गठित अंतर्विभागीय कार्यसमूह द्वारा विचारित किया जायेगा।

7. शत–प्रतिशत राज्यांश मद से बामेती भवन की आउटसोर्सिंग के माध्यम से सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए 55 लाख रूपये की आवश्यकता का आकलन किया गया है। बामेती के द्वारा एक रिवॉल्विंग फण्ड का गठन किया जायेगा, जिसमें बामेती को प्राप्त होने वाली आय तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान को संधारित किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि आगामी वर्ष से सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर नहीं रहना पड़े।

8. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना की केन्द्रांश मद की राशि की निकासी भारत सरकार से विमुक्ति प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रांश तथा समतुल्य राज्यांश मुख्यालय स्तर पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी। बामेति/आत्मा स्तर पर जिन पदों की स्वीकृति शत–प्रतिशत राज्यांश से की गई है, उन पदों के लिए राज्य स्तर पर कृषि निदेशक तथा जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा राशि की निकासी की जायेगी। आत्मा योजना मद में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद तथा राज्य योजना मद की व्यय होने वाली राशि की निकासी संबंधित एजेन्सी से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी कर बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) के PL Account 278 नया सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना में स्थानान्तरित किया जायेगा। जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अपने से संबंधित कोषागार से शत–प्रतिशत राज्यांश मद की राशि संबंधित कोषागार से निकासी की जायेगी तथा संबंधित आत्मा को उपलब्ध करायी जायेगी। निकासी एवं व्यय से संबंधित पदाधिकारी एवं निकासी की जाने वाली राशि से संबंधित विवरण अनुसूची–3 में संलग्न है।

E:\ABHINAV\2016-17\NMAET 2016-17\NMAET 2016.doc

9. केन्द्र प्रायोजित योजना में कार्य योजना की राशि भारत सरकार से प्राप्त होने तथा राज्य सरकार से विमुक्त होने के पश्चात बामेती द्वारा जिलावार राशि का वितरण राज्य नोडल पदाधिकारी की सहमति से किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर कृषि विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

10. बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:- (राशि लाख रू0 में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्यय हेतु राशि
केन्द्रांश			
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–109– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण उपशीर्ष–0217–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड P2401001090217 पी0एफ0एम0एस0 कोड–9144 विषय शीर्ष 3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	4846.14	2551.14444	1281.72
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष–0236–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड P2401007890236 पी0एफ0एम0 एस0 कोड–9144 विषय शीर्ष 3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	1242.60	491.78688	241.28
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना उपशीर्ष–0260–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड P2401007960260,पी0एफ0एम0एस0 कोड–9144 विषय शीर्ष 3106 –सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	124.26	30.73668	13.83
कुल	**6213.00**	**3073.66800**	**1536.83**
राज्यांश			
मुख्य शीर्ष–2401– फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–109– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण उपशीर्ष–0317 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन विपत्र कोड P2401001090317 पी0एफ0एम0एस0 कोड–9144 के अतंर्गत विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा।	3230.76	1997.07296	854.48
मुख्य शीर्ष–2401– फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना उपशीर्ष–0336– राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन विपत्र कोड P2401007890336 पी0एफ0एम0एस0 कोड–9144 के अतंर्गत विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा।	828.40	384.97792	160.85
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना उपशीर्ष 0360–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड P2401007960360 पी0एफ0एम0एस0 कोड–9144 के अतंर्गत विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान– वेतनादि के अलावा।	82.84	24.06112	9.22
कुल	**4142.00**	**2406.11200**	**1024.55**
सकल योग	**10355.00**	**5479.78000**	**2561.38**

11. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–49/2016 के पृ0सं0–44/टि. पर दिनांक .17.01.2017 को प्राप्त है।

27.1.2017

E:\ABHINAV\2016-17\NMAET 2016-17\NMAET 2016.doc

12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

13. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–49/2016 के पृ0सं0– 47/टि. पर दिनांक– 25.01.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27.1.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– पी०पी०एम०– 49/2016– 331 /कृ0, पटना, दिनांक 27-01-2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– पी०पी०एम०– 49/2016– 331 /कृ0, पटना, दिनांक 27-01-2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-1-2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– पी०पी०एम०– 49/2016– 331 /कृ0, पटना, दिनांक 27-01-2017

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-1-2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– पी०पी०एम०– 49/2016– 331 /कृ0, पटना, दिनांक 27-01-2017

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27-1-2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2016-17\NMAET 2016-17\NMAET 2016.doc